CN- G/225/15 (43)

कार्यालय–लोकपाल(मनरेगा), सहरसा

(34)

पत्रांक 246 / क०लो०

प्रेषक,

उषा रमण झा
लोकपाल ,मनरेगा
सहरसा

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
मनरेगा,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

सहरसा, दिनांक 19/1/15

विषय :– पारित आदेश को जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मेरे द्वारा पारित आदेश को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु विभाग से निदेशित किया गया है। उक्त आलोक में अद्यतन पारित किये गये आदेश संख्या (40 / 2014–15, 41 / 2014–15, 04 / 2014–15, 15 / 2014–15, 02 / 2014–15 एवं 03 / 2014–15) की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा पारित कुल 06 आदेश की प्रति जो इस पत्र के साथ संलग्न है, को अपने स्तर से जिला के वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को भेजवाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

Usha Raman Jha

(उषा रमण झा)
लोकपाल,मनरेगा
सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 03 / 2014–15

दिनांक: 17-01-2015	प्रस्तुत वाद **03 / 2014–15** महिषी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत– बघवा के मुखिया एवं रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा योजनाओं में जे0सी0बी0 एवं ट्रेक्टर से मिट्टी काटकर सड़क पर कार्य करने के संबंध में श्री नरेश मोहन चौधरी, पंचायत अध्यक्ष, ज0द0यू0, ग्राम पंचायत– बघवा, प्रखंड– महिषी, जिला – सहरसा के द्वारा दायर किया गया है। उपर्युक्त वाद को संधारित करने के पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी को विभिन्न तिथियों पर सूचना निर्गत की गई। किन्तु वादी लगातार अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उन्होंने संबंधित परिवाद में किसी भी प्रकार की हुई अनियमितता से इन्कार किया। वादी श्री नरेश मोहन चौधरी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में करीब 25 ग्रामीणों का हस्ताक्षर है। किन्तु वाद सुनवाई के समय 25 में से 05 ग्रामीणों ने अपना हस्ताक्षर युक्त आवेदन न्यायालय में पंचायत रोजगार सेवक के माध्यम से समर्पित किया। उक्त आवेदन के माध्यम से उनलोगों ने स्पष्ट कथन किया कि निम्नलिखित 05 योजनाओं में जिसका जिक्र वादी ने अपने परिवाद में किया है। किसी भी प्रकार की अनियमितता उन लोगो के नजर मे नहीं हुई है। उन योजनाओं का व्योरा निम्नवत है – 1. जगदीश झा के घर से रही टोला तक जानेवाली सड़क। 2. रोड नंबर 17 से जगदीश झा के घर एवं उनके घर से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क। 3. मध्य विद्यालय, गंडोल से पंचायत भवन की ओर जानेवाली सड़क। 4. ब्रह्मानंद झा के घर के नजदीक से राम शंकर चौधरी के घर तक जानेवाली सड़क। 5. पंचायत भवन से पश्चिम रोड नंबर – 17 से बहरामपुर जानेवाली सड़क में हुई धांधली के बारे में वादी ने जिक्र किया। किन्तु उपस्थित ग्रामिणों ने अपने हस्ताक्षर युक्त आवेदन में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उपर्युक्त किसी भी योजना में किसी प्रकार की धांधली के बारे में उन्हें

कुछ भी ज्ञात नहीं है।

संबंधित परिवाद के वादी लगातार स्मार के वाबजूद भी न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहे। जिस कारण परिवाद में उठाये गये विन्दुओं के संदर्भ में उनसे विस्तृत पूछताछ नहीं की जा सकी, ना हीं उनसे किसी ठोस सबूत की उपलब्धि हो सकी। जिस आधार पर परिवाद को आगे बढाया जा सके। वादी की लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट होता है कि उन्हें वाद चलाने में कोई अभिरूचि नहीं है। ना हीं उनके पास उक्त परिवाद के संबंध में कोई प्रमाण ही है।

उपर्युक्त परिस्थिति में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

संबंधित पक्ष को इसकी सूचना निर्गत करें।

ह०/–

लोकपाल

मनरेगा, सहरसा

ज्ञापांक ..../लो०,सहरसा, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— श्री नरेश मोहन चौधरी, पंचायत अध्यक्ष, ज0द0यू0, ग्राम पंचायत– बघवा, प्रखंड– महिषी, जिला – सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत– बघवा, प्रखंड– महिषी, जिला – सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड– महिषी, जिला – सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Usha Raman Jha.

लोकपाल,

मनरेगा, सहरसा

(3)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 02/2014–15

दिनांक : 17-01-2015	प्रस्तुत वाद 02/2014–15 शिवनंदन मुखिया वनाम पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत- पस्तवार अंचल महिषी के विरूद्ध दायर किया गया परिवाद है। वादी ने अपने परिवाद में महिषी प्रखंड अंतर्गत पस्तवार पंचायत के झिटकी ग्राम में रोजगार सेवक, मनरेगा के द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत बिचोलिया के सहयोग से मात्र दो टेलर मिट्टी गिराकर 09 लाख रूपये का गवन करने के विरूद्ध दायर किया है। साथ ही इंदिरा आवास में सचिव द्वारा 2500/–रू० प्रथम किस्त एवं 9000/–रू० द्वितीय किस्त में प्रत्येक लाभुक से लेने की बात कही गई है। उपर्युक्त परिवाद संधारण के पश्चात विभिन्न तिथियों पर उभय पक्षों का न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत की गई। लेकिन उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे। मात्र 01 तिथि पर 18.09.2014 को. पंचायत रोजगार सेवक ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। वादी द्वारा लेख्य प्रमाणक, सहरसा के समक्ष लिया गया एंक शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें वादी की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि ग्राम पंचायत - पस्तपार से संबंधित पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक पर दिया गया आवेदन झूठा एवं वेबुनियाद है एवं वादी ने उक्त आवेदन न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। उपर्युक्त परिपेक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवाद चलाने का कोई स्पष्ट एवं उचित कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है। साथ ही इंदिरा आवास से संबंधित शिकायतों को सुनने का क्षेत्राधिकार लोकपाल, मनरेगा को नहीं है। उपर्युक्त स्थिति में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें।

ह०/-

लोकपाल

मनरेगा, सहरसा

ज्ञापांक ...../लो०,सहरसा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- शिवनंदन मुखिया, ग्राम पंचायत - पस्तवार, थाना- महिषी, प्रखंड- महिषी जिला - सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत - पस्तवार, थाना- महिषी, प्रखंड- महिषी जिला - सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड- महिषी जिला - सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Usha Raman Jha
17.01.2015
लोकपाल,
मनरेगा, सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 04 / 2014–15

दिनांक : 17-01-2015	प्रस्तुत वाद 04/2014–15 कपलेश्वर सादा, ग्राम + पोस्ट- कुन्दह, अंचल महिषी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वादी ने अपने परिवाद में योजना संख्या-05/2011–12 में मजदूरों का मेठ होने का दावा किया। उन्होंने आगे प्रतिवेदित किया है कि योजना संख्या-05/2011–12 में करीब 60 मजदूर कार्यरत थें। जिनके चार सप्ताह के मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने अपने परिवाद में मजदूरों के वेतन भुगतान करवाने हेतु आग्रह किया है। उक्त परिवाद के संधारण करने के पश्चात् कार्यक्रम पदाधिकारी, महिषी एवं रोजगार सेवक कुन्दह को संबंधित परिवाद के परिपेक्ष्य में अपना प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विभिन्न तिथियों पर सूचना निर्गत की गई है। सूचना प्राप्ति के पश्चात भी वादी एवं परिवादी लगातार अनुपस्थित रहे। इस क्रम में वादी द्वारा लेख्य प्रमाणक, सहरसा के समक्ष लिये गये शपथ पत्र की प्रति न्यायालय में समर्पित की गई। उक्त शपथ पत्र के माध्यम से वादी ने प्रतिवेदित किया है कि उन्होंने लोकपाल, मनरेगा के न्यायालय में कोई भी वाद दाखिल नहीं किया है और ना हीं तो उन्हें योजना संख्या 05/2011–12 के संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारी है ना ही वे मजदूरों के मेठ हैं। उपर्युक्त शपथ पत्र से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वादी को परिवाद चलाने में कोई अभिरूचि नहीं है। ना ही तो वाद चलाने के लिए उचित साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। उक्त स्थिति में वाद चलाने का कोई औचित्य है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें। Usha Raman 17.01.2015 लोकपाल मनरेगा, सहरसा

ज्ञापांक ...../लो०,सहरसा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- कपलेश्वर सादा ग्राम पंचायत - कुन्दह, थाना- महिषी, प्रखंड- महिषी जिला - सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत - कुन्दह, थाना- महिषी, प्रखंड- महिषी जिला - सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड- महिषी जिला - सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Usha Raman Jha
17.01.2015

लोकपाल,
मनरेगा, सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 15/2014–15

दिनांक : 17-01-2015	प्रस्तुत वाद 15/2014–15 भोलन महतो बनाम, कार्यक्रम पदाधिकारी, महिषी एवं पंचायत रोजगार सेवक, कन्दाहा के विरूद्ध दायर परिवाद है जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार एवं जिलाधिकारी, सहरसा के समक्ष आवेदित एवं उप विकास आयुक्त, सहरसा के द्वारा लोकपाल मनरेगा को हस्तान्तरित परिवाद है। अपने आवेदन में आवेदक ने मनरेगा योजना में हुई धांधली के संबंध में बिना किसी तारतम्य के आरोप लगाया। परिवाद के संधारण के पश्चात उभय पक्षों को सूचना निर्गत की गई किन्तु बार-बार स्मारित करने के पश्चात भी उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे। मात्र एक तिथि पर पंचायत रोजगार सेवक, न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उन्होंने अपने पक्ष को स्पष्ट करने हेतु समय की मांग की। वादी भोलन महतो द्वारा लेख्य प्रमाणक, सहरसा के समक्ष लिये गये शपथ पत्र की प्रति न्यायालय में समर्पित की गई। उक्त शपथ पत्र के माध्यम से वादी ने प्रतिवेदित किया है कि संबंधित परिवाद उनके द्वारा दायर नहीं किया गया है। साथ ही पंचायत सचिव एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा किये गये किसी घोटाले की उन्हें जानकारी नहीं है। ना ही तो उन्होंने इस तरह का कोई आवेदन न्यायालय में दिया है। उक्त स्थिति में वाद कारण नहीं बनता अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें।

Usha Raman Jha
17.01.2015

लोकपाल

मनरेगा, सहरसा

ज्ञापांक ..../लो०,सहरसा, दिनांक ....

प्रतिलिपि :- भोलन महतो, ग्राम पंचायत - कन्दाहा, थाना- महिषी, प्रखंड- महिषी जिला - सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

(27)

प्रतिलिपि :- पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत - कंदाहा, थाना- महिषी, प्रखंड- महिषी जिला - सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड- महिषी जिला - सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27.01.15

लोकपाल,
मनरेगा, सहरसा

(5.6)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 40/2014–15

दिनांक	
26.12.2014	प्रस्तुत परिवाद संख्या – 40/2014–15 के परिवादी सुभाष साह, बनाम् पंचायत रोजगागार सेवक, मोहम्मदपुर एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के विरूद्ध दायर किया गया है। परिवादी का कथन है कि मौजा– ऐनी, टोला– रूद्रस्थान, अंचल – सिमरी बख्तियारपुर स्थित पंचायत– मोहम्मदपुर जिला – सहरसा स्थित खाता नंबर– 191, खेसरा नंबर – 726, रकवा – 3 कट्ठा चार धूर जमीन परिवादी की खतियानी जमीन है, जिसमें इनके 03 अन्य हिस्सेदार क्रमशः 01. गणेशी साह, पिता– गुदर साह, 02. त्रिवेणी साह, पिता– दुखा साह, 03. बहादुर साह, पिता– पृथ्वीचंद्र साह हैं। इनका अग्रेतर कथन है कि इसके एक हिस्सेदार बहादुर साह, पिता– पृथ्वीचंद्र साह ने जालसाजी के तहत इन दोनों हिस्सेदारों की जमीन भी महामहिम राज्यपाल बिहार, पटना को निबंधित केवाला द्वारा दान कर दिया है एवं उक्त जमीन में मनरेगा योजना के तहत मिट्टी भराई की जा रही है। उन्होंने उक्त संदर्भ में 26.05.2014 को अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को प्रेषित आवेदन का भी जिक्र किया है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक – 1131, दिनांक 27.05.2014 से अंचलाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को वस्तुस्थिति की जाँच करने का आदेश दिया, किन्तु अंचलाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः परिवादी ने लोकपाल के न्यायालय में यह परिवाद दाखिल किया। संबंधित परिवाद में विवेचना की वस्तु यह है कि परिवादी के कथन के अनुसार उनके एक हिस्सेदार के द्वारा 03 कट्ठा चार धूर जमीन महामहिम राज्यपाल, बिहार को एकरारनामा के तहत स्कूल निर्माण हेतु जमीन दिनांक 05.11.1959को निबंधित दस्तावेज द्वारा दान किया गया है एवं उक्त भूमि पर स्कूल का निर्माण भी हो गया। साथ ही स्कूल के प्रांगण में मिट्टी भराई की आवश्यकता पड़ी, तो मनरेगा योजनान्तर्गत मिट्टी भराई कार्य प्रारंभ किया गया। उपर्युक्त संदर्भ में विवेचना के लिए मात्र दो बिन्दु है कि 05.11.1959 के दानपत्र को आज करीब 55 वर्ष बितने के बाद परिवादी किस आधार पर चुनौती दे रहे हैं। परिवादी के कथन से स्पष्ट है कि जमीन की

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 40/2014–15

दिनांक	
26.12.14	प्रकृति संयुक्त हिस्सेदारी की है एवं संयुक्त हिस्सेदारी के सम्पत्ति के निष्पादन में हिन्दु अविभक्त परिवार का कर्त्ता स्वयं किसी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि महामहित राज्यपाल, बिहार को किया गया दानपत्र दिनांक 05.11.1959 पृथ्वी चंद्र साहु , पिता– दर्शन साहु के द्वारा हिन्दु अविभक्त परिवार के कर्त्ता होने के नाते किया गया है एवं 55 वर्षों से उक्त भूमि पर स्कूल का निरंतर कब्जा बना हुआ है। इस स्थिति में उक्त भुमि पर किसी विवाद को लाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ना हीं तो लोकपाल का न्यायालय स्वत्व से संबंधित किसी वाद में कोई निर्णय लेने का अधिकार रखता है। उपर्युक्त संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर से कारण पृच्छा की माँग की गई थी। कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने पत्रांक – 149–2, दिनांक 10.11.2002 के द्वारा सूचित किया कि अंचलाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर से प्राप्त की गई सूचना पत्रांक – 1216–2, दिनांक –29.09.2014 द्वारा खेसरा– 726, स्कूल के दखल में पाया गया एवं वह स्कूल की जमीन है, ऐसा प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से कराये गये जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उपर्युक्त भूमि स्कूल की है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परिवादी का दावा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है साथ ही मनरेगा कार्यक्रम के विरूद्ध उनकी शिकायत का कोई आधार नहीं बनता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित पक्षों को इसकी सूचना निर्गत की जाती है। लोकपाल Usha Raman 26. मनरेगा, सहरसा

(24)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 40 / 2014–15

दिनांक	
26.12.14	ज्ञापांक ...../ लो०.सहरसा, दिनांक ..... **प्रतिलिपि :–** सुभाष साह, ग्राम पंचायत– मोहम्मदपुर, थाना– सिमरी बख्तियारपुर, प्रखंड– सिमरी बख्तियारपुर, जिला – सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि :–** पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत– मोहम्मदपुर, थाना– सिमरी बख्तियारपुर, प्रखंड– सिमरी बख्तियारपुर, जिला– सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड– सिमरी बख्तियारपुर, जिला– सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। लोकपाल Usha Raman Jha मनरेगा, सहरसा

(23)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 41/2014–15

दिनांक	
26.12.14	प्रस्तुत परिवाद संख्या – 41/2014–15 उमेश प्रसाद यादव, वनाम् पंचायत रोजगार सेवक एवं पंचायत तकनीकि सहायक के विरूद्ध दायर परिवाद है। परिवादी का कथन है कि पंचायत – मोवारकपुर, सलखुआ प्रखंड के अंतर्गत वार्ड नंबर – 11 के महादलित टोला में मनरेगा योजना के तहत सुकराती सादा के घर से बुलाकी सादा के घर तक सड़क निर्माण में पी. सी.सी. वर्क एवं ढ़लाई प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया गया है। साथ ही उनका अग्रतर कथन है कि संबंधित योजना कार्य में प्राक्कलन के विरूद्ध 30 प्रतिशत राशि का भी व्यय नहीं हुआ। समस्त निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। उन्होंने संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध एफ. आई.आर. दर्ज करने की माँग की है। उपर्युक्त परिवाद ग्रहण करने के पश्चात् विभिन्न तिथियों पर उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत की गई। उभय पक्षों ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्थल जाँच करने का अनुरोध किया, किन्तु लोकपाल के स्तर से वाहन अनुपलब्ध होने के कारण स्थल जाँच नहीं किया जा सका। इसके एवज में लोकपाल ने सहायक अभियंता, मनरेगा से उक्त योजना की जाँच कर अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश निर्गत किया। मो० नुरूल्लाह, सहायक अभियंता, मनरेगा द्वारा पत्रांक– 0, दिनांक– 09.12.2014 को समर्पित अपने प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि प्रखंड –सलखुआ अंतर्गत ग्राम पंचायत– मोवारकपुर के योजना संख्या– 02/2013–14 में योजना का नाम मोवारकपुर अंतर्गत वार्ड नंबर – 11 में योगी सादा के घर से भुवनेश्वर सादा के घर तक पथ में पी.सी.सी. ढलाई कार्य का स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त उन्होंने योजना स्थल पर सूचनापट्ट बना हुआ एवं मापी पुस्त में दर्ज प्रविष्टि के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन पाया। उन्हें उक्त योजना में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मिली। सहायक अभियंता ने अग्रतर प्रतिवेदित किया है कि योजना की प्राक्कलित राशि 0942500/–रू० एवं मापी पुस्त की राशि– 928878/–रू० पाया। जिसमें अद्यतन 659893/–रू० का भुगतान लंबित है। सहायक अभियंता, मनरेगा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं परिवादी द्वारा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 41/2014–15

दिनांक	
26.12.14	अपने परिवाद के समर्थन में कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध न करवाने के कारण सहायक अभियंता के प्रतिवेदन के विरूद्ध कोई निर्णय लेना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त स्थिति में वाद में वाद चलाने का कोई औचित्य नहीं है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें। ह०/– लोकपाल मनरेगा, सहरसा ज्ञापांक ..../लो०,सहरसा, दिनांक .... प्रतिलिपि :– उमेश प्रसाद यादव, ग्राम पंचायत – मोवारकपुर थाना– सलखुआ, प्रखंड– सलखुआ जिला – सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, मोवारकपुर थाना–सलखुआ, प्रखंड– सलखुआ जिला – सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड– सलखुआ जिला – सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। Usha Raman (signature) लोकपाल, मनरेगा, सहरसा

C.W.-20846/16

(2)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा
वाद संख्या- 49/2014-15

दिनांक	
08.11.2014	प्रस्तुत वाद संख्या- 49/2014-15 ग्राम पंचायत – बैजनाथपुर, प्रखंड-सौरबाजार में मनरेगा योजना एवं बी.आर.जी.एफ. योजना में भारी पैमाने पर लूट-खसोट के आधार पर श्री अवधेश कुमार यादव, ग्राम पंचायत बैजनाथपुर के समिति सदस्य, श्री अरूण कुमार यादव, बैजनाथपुर के सरपंच श्री मुरली यादव, ग्राम पंचायत – बैजनाथपुर के वार्ड 07 के पूर्व वार्ड सदस्य एवं दिलीप कुमार मेहता, अधिवक्ता एवं ग्राम पंचायत – बैजनाथपुर के निवासी के द्वारा दाखिल परिवाद है। यह परिवाद समाहर्त्ता महोदय, सहरसा से लोकपाल, मनरेगा को हस्तानांतरित परिवाद है। उपर्युक्त परिवाद के संदर्भ में परिवादी एवं विपक्षी रोजगार सेवक को विभिन्न तिथियों पर सूचना निर्गत की गई। दिनांक 08.11.2014 को उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं चारो परिवादियों ने इस परिवाद के दायर होने के संबंध में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की, उन्होंने अपने कथन में कहा कि उन्होंने कभी भी और कहीं भी इस प्रकार का कोई परिवाद दायर नहीं किया है। परिवादी संख्या 01 श्री अवधेश कुमार यादव ने कथन किया कि वे अपना नाम अवधेश कुमार लिखते हैं, न कि अवधेश कुमार यादव। इसी तरह का स्पष्टीकरण परिवादी संख्या 02 अरूण कुमार यादव ने भी दी। उन्होंने कहा कि वे भी अपना नाम अरूण कुमार लिखते हैं न कि अरूण कुमार यादव। उन्होंने अग्रतर कथन किया कि यह परिवाद किसी फरेबी व्यक्ति ने उनके नाम का उपयोग कर दायर किया है। जहाँ तक इन लोगो का संबंध है, इनके जानते पंचायत में मुखिया द्वारा किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया गया है। अपने कथन के समर्थन में इन चारों व्यक्तियों ने कार्यपालक दंडाधिकारी, सहरसा के समक्ष लिये गये शपथ पत्र की सच्ची प्रति इस न्यायालय में दाखिल किया, जिसमें उन लोगों ने शपथ पूर्वक घोषणा की है कि किसी जाली व्यक्ति ने उनके नाम का गलत उपयोग करते हुए यह परिवाद उन्हें फसाने के लिए दायर किया है। साथ ही उन्होंने अपने शपथ पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि पंचायत बैजनाथपुर के वर्त्तमान मुखिया, श्री पंकज कुमार के द्वारा किये गये किसी घोटाले की जानकारी नहीं है, न हीं इन लोगों ने उनके विरूद्ध कोई परिवाद ही दायर किया है। उपर्युक्त स्थिति में जबकि वाद चलाने के लिए कोई परिवादी नहीं है और न ही कोई साक्ष्य उपलब्ध है तथा परिवादियों द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ पत्र की प्रति परिवाद में दाखिल की गई है तो वाद चलाने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ द्रष्टव्य है कि बी.आर.जी.

(1)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या- 49/2014-15

दिनांक	
08.11.2014	एफ. योजना, मनरेगा, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत की जाती है। सभी संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें। ह०/- लोकपाल मनरेगा, सहरसा ज्ञापांक 231...../लो0,सहरसा, दिनांक 13/11/14 प्रतिलिपि :- श्री अवधेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत -बैजनाथपुर, प्रखंड - सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- श्री अरूण कुमार, सरपंच, ग्राम पंचायत -बैजनाथपुर, प्रखंड - सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- मुरली यादव, पूर्व वार्ड सदस्य (वार्ड 07) ग्राम पंचायत -बैजनाथपुर, प्रखंड - सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- पंकज कुमार, अधिवक्ता, ग्राम पंचायत -बैजनाथपुर, प्रखंड - सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत -बैजनाथपुर, प्रखंड - सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- कार्यक्रम पदाधिकारी, सौरबाजार को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 13.11.14 लोकपाल, मनरेगा, सहरसा

184 / 20

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 38 / 2014–15

15.9.14

वाद संख्या–38 / 2014–15 के परिवादी, श्री मदन कुमार, ग्राम–हनुमान नगर, पंचायत–चन्दौर पूर्वी, प्रखंड–सौरबाजार, जिला–सहरसा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। वादी का कथन है कि मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2013 में रामजानकी ठाकुरवाड़ी से पूर्व हनुमान नगर के दक्षिण भाग तालाब के पेनगाद की मिट्टी उराही कार्य मजदूर की जगह जे०सी०बी० मशीन का उपयोग कर किया गया। जो मनरेगा प्रावधानों के प्रतिकूल है। साथ ही परिवादी ने व्यय की गयी राशि वसूल करने हेतु आग्रह किया।

उपर्युक्त प्रसंग में पंचायत रोजगार सेवक, चन्दौर पूर्वी को सूचना निर्गत की गयी। संबंधित रोजगार सेवक न्यायालय में उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र समर्पित किया, कि उपर्युक्त पोखर में मनरेगा योजनान्तर्गत कोई कार्य किया ही नहीं गया है।

उपर्युक्त संदर्भ में परिवादी श्री मदन कुमार ने भी न्यायालय के समक्ष एक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमे परिवादी का कहना है कि ग्राम–हनुमान नगर, ग्राम पंचायत–चन्दौर पूर्वी, वार्ड नम्बर–09, डागाडाबर पोखर पर मनरेगा योजना के अन्तर्गत चलनेवाली योजना के संदर्भ में उन्होंने जो शिकायत दर्ज करवायी थी, वो पूर्णरूपेण जानकारी के आभाव में दाखिल की गयी। यह की जानकारी होने पर पता चला कि डागाडाबर पोखर पर मनरेगा अन्तर्गत कोई कार्य चलाया नहीं गया। साथ ही उन्होंने उपर्युक्त शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया कि संबंधित परिवाद जानकारी के आभाव में दाखिल की गयी है, जो पोषनीय नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थिति में वाद चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

सभी संबंधित पक्षों को इसकी सूचना निर्गत करें।

ह०/–
लोकपाल(मनरेगा)
सहरसा

ज्ञापांक 233–1 लो० दिनांक 13/11/14

प्रतिलिपि :–श्री मदन कुमार, ग्राम–हनुमान नगर, पंचायत–चन्दौर पूर्वी, प्रखंड–सौरबाजार, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, चन्दौर पूर्वी, प्रखंड–सौरबाजार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, सौरबाजार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15.9.14

लोकपाल(मनरेगा)
सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा
वाद संख्या- 49/2014-15

दिनांक	
08.11.2014	प्रस्तुत वाद संख्या- 49/2014-15 ग्राम पंचायत - बैजनाथपुर, प्रखंड- सौरबाजार में मनरेगा योजना एवं बी.आर.जी.एफ. योजना में भारी पैमाने पर लुट-खसोट के आधार पर श्री अवधेश कुमार यादव, ग्राम पंचायत बैजनाथपुर के समिति सदस्य, श्री अरूण कुमार यादव, बैजनाथपुर के सरपंच श्री मुरली यादव, ग्राम पंचायत - बैजनाथपुर के वार्ड 07 के पूर्व वार्ड सदस्य एवं दिलीप कुमार मेहता, अधिवक्ता एवं ग्राम पंचायत - बैजनाथपुर के निवासी के द्वारा दाखिल परिवाद है। यह परिवाद समाहर्त्ता महोदय, सहरसा से लोकपाल, मनरेगा को हस्तानांतरित परिवाद है। उपर्युक्त परिवाद के संदर्भ में परिवादी एवं विपक्षी रोजगार सेवक को विभिन्न तिथियों पर सूचना निर्गत की गई। दिनांक 08.11.2014 को उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं चारो परिवादियों ने इस परिवाद के दायर होने के संबंध में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की, उन्होंने अपने कथन में कहा कि उन्होंने कभी भी और कहीं भी इस प्रकार का कोई परिवाद दायर नहीं किया है। परिवादी संख्या 01 श्री अवधेश कुमार यादव ने कथन किया कि वे अपना नाम अवधेश कुमार लिखते हैं, न कि अवधेश कुमार यादव। इसी तरह का स्पष्टीकरण परिवादी संख्या 02 अरूण कुमार यादव ने भी दी। उन्होंने कहा कि वे भी अपना नाम अरूण कुमार लिखते हैं न कि अरूण कुमार यादव। उन्होंने अग्रतर कथन किया कि यह परिवाद किसी फरेबी व्यक्ति ने उनके नाम का उपयोग कर दायर किया है। जहाँ तक इन लोगो का संबंध है, इनके जानते पंचायत में मुखिया द्वारा किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया गया है। अपने कथन के समर्थन में इन चारों व्यक्तियों ने कार्यपालक दंडाधिकारी, सहरसा के समक्ष लिये गये शपथ पत्र की सच्ची प्रति इस व्यायालय में दाखिल किया, जिसमें उन लोगों ने शपथ पूर्वक घोषणा की है कि किसी जाली व्यक्ति ने उनके नाम का गलत उपयोग करते हुए यह परिवाद उन्हें फसाने के लिए दायर किया है। साथ ही उन्होंने अपने शपथ पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि पंचायत बैजनाथपुर के वर्त्तमान मुखिया, श्री पंकज कुमार के द्वारा किये गये किसी घोटाले की जानकारी नहीं है, न हीं इन लोगों ने उनके विरूद्ध कोई परिवाद ही दायर किया है। उपर्युक्त स्थिति में जबकि वाद चलाने के लिए कोई परिवादी नहीं है और न ही कोई साक्ष्य उपलब्ध है तथा परिवादियों द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ पत्र की प्रति परिवाद में दाखिल की गई है तो वाद चलाने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ द्रष्टव्य है कि बी.आर.जी.

185

18

24.09.2014	अपनी असमर्थता व्यक्त की। फलतः सड़क का निर्माण रूक गया। स्थल जाँच के क्रम में भी उपर्युक्त स्थिति की सम्पूष्टि हुई। उपर्युक्त परिपेक्ष्य से स्पष्ट है कि परिवादी का वाद पोषणीय नही है। उन्होंने यह वाद आपसी रंजीश के तहत दायर किया है और इस परिवाद में उठाये गये किसी भी बिन्दु को न्यायालय के समक्ष सिद्ध नहीं कर सके। इस परिस्थिति में वाद चलाने का कोई औचित्य दृष्टिगत नहीं होता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। संबंधित पक्षों को इसकी सूचना निर्गत करें। सभी संबंधित पक्षों को इसकी सूचना निर्गत करें। ह०/- लोकपाल(म-रेगा) सहरसा **ज्ञापांक** 234-1 **/लो०, सहरसा , दिनांक** 13.11.14 **प्रतिलिपि** :- श्री भवेश झा पिता- स्व० रामेश्वर झा साकिन पंचगछिया, उत्तरवारी टोला, थाना- बिहरा, जिला - सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :- पंचायत रोजगार सेवक, पंचगछिया, प्रखंड-सत्तरकटैया को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :- कार्यक्रम पदाधिकारी, सत्तरकटैया को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :- उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि**:- जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ। **प्रतिलिपि** :- नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 25.09.14 लोकपाल(म-रेगा) सहरसा

(186)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा
वाद संख्या– 37/2014–15

24.09.2014	वाद संख्या 37/2014 –15 के परिवादी श्री भवेश झा पिता– स्व० रामेश्वर झा साकिन पंचगछिया, उत्तरवारी टोला, थाना– बिहरा, जिला – सहरसा है।परिवादी का कथन है कि बाबू साहब वकील के घर से छोटू के घर तक जानेवाली सड़क में मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग का मनरेगा अन्तर्गत योजना संख्या– 0521019004/RC/03/2011–12 के अंतर्गत बिना सड़क का कार्य किये प्राक्कलित राशि का भुगतान ले लिया गया। उक्त निकासी की एक छाया प्रति भी संलग्न किया गया है। परिवादी का कथन है कि समस्त प्राक्कलित राशि मो० 2,31,700(दो लाख एकतीस हजार सात सौ)रू० की निकासी कर ली गई है। योजना का संबंधित कार्य विवरण भी श्री झा के द्वारा संलग्न किया गया है। जिसमें योजना का मानक प्राक्कलन 231700/– रू० है। जिसमें संबंधित Material भी दर्शाया गया है, किन्तु उक्त कागजात से यह स्पष्ट नहीं हो सका की योजना पर अबतक कितनी राशि का व्यय हुआ है। उक्त परिवाद में पंचायत रोजगार सेवक, पंचगछिया को भी सूचना निर्गत की गई। पंचायत रोजगार सेवक ने न्यायालय में उपस्थित होकर योजना संख्या – 03/2011–12 में व्ययगत राशि संधारित रोकड़वही का सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करवाया जिसमें प्राक्कलित राशि 231700/–रू० के विरूद्ध मो० 56280/–(छप्पन हजार दो सौ अस्सी)रू० का व्यय दर्शाया गया है। संबंधित परिवाद के संबंध में मैंने दिनांक 01.09.2014 को स्थल निरीक्षण किया। स्थल निरीक्षण के क्रम में उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु उपरोक्त योजना की स्वीकृति दी गई थी। चूकि कैडेस्ट्रल सर्वे के समय से ही यहाँ वांछित चौड़ाई में सड़क उपलब्ध नहीं है। रिविजनल सर्वे के अंतर्गत भी पूर्ववर्त्ती सड़क के अनुसार ही नक्शा का निर्माण किया गया। जिस कारण सड़क की चौड़ाई पूर्ववत ही बनी रही। आवागमन की असुविधा होने के कारण सड़क के दोनो ओर बसे हुए ग्रामीण अपनी नीजी जमीन से उक्त सड़क निर्माण हेतु वांछित अनुपात में भूमि देने हेतु सहमत हुए एवं उक्त सहमति के आधार पर ही योजना संख्या– 3/2011–12 का संधारण हुआ। सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। जिस पर मो० 56280/– रूपये का व्यय आया। किन्तु इसी क्रम में शिकायतकर्त्ता भवेश झा द्वारा सरकारी सड़क की जमीन खाली नहीं करने के कारण ग्रामीण राजनीति के तहत सड़क के दोनो ओर बसे ग्रामीणों ने सड़क निर्माण हेतु नीजी भूमि देने में

(183)
(17)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या- 49/2014-15

दिनांक	
08.11.2014	एफ. योजना, मनरेगा, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत की जाती है। सभी संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें। ह०/- लोकपाल मनरेगा, सहरसा ज्ञापांक 2331-1..../लो0,सहरसा, दिनांक 13/11/14.. प्रतिलिपि :- श्री अवधेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत -बैजनाथपुर, प्रखंड - सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- श्री अरूण कुमार, सरपंच, ग्राम पंचायत -बैजनाथपुर, प्रखंड - सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- मुरली यादव, पूर्व वार्ड सदस्य (वार्ड 07) ग्राम पंचायत -बैजनाथपुर, प्रखंड - सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- पंकज कुमार, अधिवक्ता, ग्राम पंचायत -बैजनाथपुर, प्रखंड - सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत -बैजनाथपुर, प्रखंड - सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- कार्यक्रम पदाधिकारी, सौरबाजार को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 13.11.14 लोकपाल, मनरेगा, सहरसा

(18)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 22/2014–15

06.09.2014	वाद संख्या 22/2014–15 के परिवादी श्री दिनेश प्रसाद यादव अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, सहरसा प्रस्तुत वाद में पतरघट प्रखंड के गोलमा पश्चिमी पंचायत के मुखिया तथा पंचायत रोजगार सेवक के मिली भगत से फर्जी मस्टर रॉल बनाकर मनरेगा योजना में लाखों रूपये सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगाया गया। उपर्युक्त आरोप के संदर्भ में दोनों पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत की गई। दोनों पक्ष सूचना प्राप्ति के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होंने वाद के संदर्भ में अपने वयान दर्ज करवाये, उनके वयान के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आया। ➢ यह कि गोलमा पश्चिमी के पंचायत रोजगार सेवक को सूचना निर्गत की गई। पंचायत रोजगार सेवक, श्री मिथिलेश कुमार पन्ना न्यायालय में उपस्थित हुए एवं अपना कथन दर्ज करवाया। उनके अनुसार परिवाद में गलत कथन किया गया है। मो० रूस्तम के घर से मो० जब्बार के घर तक करीब 250 फीट लंबी एवं 10 फीट चौड़ी सड़क में मिट्टी भराई का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण है। करीब 400 फीट सड़क पर सोलिंग का कार्य पूर्ण किया जा सका है। बांकि बचे 400 फीट में अभी मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मिट्टी भराई के पश्चात् सोलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने मो० करीम साकिन बथनाहा, जो मजदूरों के मेठ भी हैं, वो भी न्यायालय में उपस्थित थे। मो० करीम ने कहा की उपरोक्त सड़क का निर्माण हो चुका है एवं उसके अंदर 30 से 40 मजदूर काम करते हैं एवं उन्हें भुगतान संबंधी कोई शिकायत नहीं है। ➢ यह कि पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने वाद खारिज करने की प्रार्थना की। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद चलाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत की जाती है। 10.9.14 लोकपाल(मनरेगा) सहरसा

C:\Users\chandan\Documents\Rescue.asd

06.09.2014	**ज्ञापांक** 2321/**लो०, सहरसा , दिनांक** 13/11/14 **प्रतिलिपि** :– श्री दिनेश प्रसाद यादव अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, जिला – सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :– पंचायत रोजगार सेवक, श्री मिथिलेश कुमार पन्ना, गोलमा पश्चिमी, प्रखंड – पतरघट को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :– कार्यक्रम पदाधिकारी, पतरघट को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि**:– जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ। **प्रतिलिपि** :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 10.9.14 लोकपाल(मनरेगा) सहरसा

C:\Users\chandan\Documents\Rescue.asd

(16)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 07 / 2013–14

20.08.2014

यह वाद श्री अमरेन्द्र झा, साकिन+पोस्ट–मुरली बसंतपुर, प्रखंड–कहरा, जिला–सहरसा द्वारा दाखिल किया गया है। संबंधित वाद में वादी का कथन है कि उन्होंने पंचायत समिति की योजना संख्या–44 / 2010–11 में ईट की आपूर्ति की थी, जिसकी कीमत रु० 120605 00 (एक लाख बीस हजार छः सौ पाँच) रूपये का भुगतान लंबित है।

दिनांक–17.04.2014 को संधारित इस वाद में पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत–मुरली बसंतपुर को सूचना निर्गत की गयी कि संबंधित परिवाद के संबंध में विवरणी दाखिल करें। साथ ही कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा को भी पत्र लिखकर संबंधित विषय–वस्तु के संबंध में प्रतिवेदन देने की माँग की गयी। किन्तु दिनांक–21.05.2014, 16.06.2014 तक प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। दिनांक–30.06.2014 को उभय पक्ष उपस्थित हुए। उक्त तिथि को कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा स्वयं उपस्थित थे। उनसे संबंधित विषय–वस्तु के संबंध में लिखित प्रतिवेदन की माँग की गयी, कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा ने उक्त परिवाद के संबंध में अपना प्रतिवेदन दाखिल किया। उन्होंने प्रतिवेदित किया कि श्री अमरेन्द्र झा, सोनी ब्रीक्स कम्पनी, बनगाँव, पड़री एवं मोहन प्रसाद सिंह उर्फ श्याम जी द्वारा पंचायत समिति की योजना संख्या–44 / 10–11 में ईट, सीमेंट, बालू, छड़ एवं स्टोन चिप्स की आपूर्ति की गयी थी, परंतु पंचायत समिति मद में राशि उपलब्ध नहीं रहने की वजह से उक्त ब्रीक्स कम्पनी एवं सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को अभीतक भुगतान नही किया जा सका है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पत्रांक–1200–2, दिनांक–29.08.2013 द्वारा प्रखंड कहरा अन्तर्गत लंबित दायित्व से संबंधित योजनाओं को चार भागों में विभक्त करते हुए उक्त योजना की जाँच करने के जिम्मेवारी अंचलाधिकारी, कहरा एवं श्री मनोज कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा को दिया गया था। जाँचोपरान्त विभाग से राशि प्राप्त होने पर उक्त योजना में भुगतान किया जाना है।

कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजना संख्या–44 / 10–11 में परिवादियों के

20.08.2014	किये गये दावे में सत्यता है एवं अद्यतन उनका भुगतान लंबित है। चुँकि मामला भुगतान से संबंधित है, जिस हेतु उप विकास आयुक्त, सहरसा ही सक्षम अधिकारी हैं। अतः उपर्युक्त टिप्पणी के पश्चात् उप विकास आयुक्त, सहरसा के समक्ष अग्रसारित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित पक्षों को इसकी सूचना निर्गत करें। ह०/-- लोकपाल(मनरेगा) सहरसा

ज्ञापांक 186-1 /लो०, सहरसा , दिनांक 24/9/14

प्रतिलिपि :–श्री अमरेन्द्र झा, अधिवक्ता, ग्राम+पोस्ट– मुरली बसंतपुर, प्रखंड–कहरा, जिला सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, मुरली बसंतपुर, प्रखंड–कहरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Usha Jamanthe.
22.9.14
लोकपाल(मनरेगा)
सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा
वाद संख्या– 08/2013–14

20.08.2014

यह वाद श्री मोहन प्रसाद सिंह उर्फ श्याम, नया बाजार, सहरसा के द्वारा दाखिल किया गया है। संबंधित वाद में वादी का कथन है कि उन्होंने पंचायत समिति की योजना संख्या–44/2010–11 में सीमेन्ट, बालू, छड़ एवं स्टोन चिप्स की आपूर्ति की थी, जिसकी कीमत मो०–227864.00 (दो लाख सत्ताईस हजार आठ सौ चौसठ) रूपये का भुगतान लंबित है।

दिनांक–17.04.2014 को संधारित इस वाद में पंचायत रोजगार सेवक, मुरली बसंतपुर को सूचना निर्गत की गयी की संबंधित परिवाद के संबंध में विवरणी दाखिल करें। साथ ही कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा को भी पत्र देकर संबंधित विषय वस्तु के संबंध में प्रतिवेदन देने की माँग की गयी। किन्तु दिनांक–25.04.2014, 10.05.2014, 05.06.2014, 16.06.2014 एवं 30.06.2014 को लगातार स्मार पत्र भेजा गया।

कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा ने उक्त परिवाद के संबंध में अपना प्रतिवेदन दाखिल किया। उन्होंने प्रतिवेदित किया कि श्री अमरेन्द्र झा, सोनी ब्रीक्स कम्पनी, बनगाँव, पड़री एवं मोहन प्रसाद सिंह उर्फ श्याम जी द्वारा पंचायत समिति की योजना संख्या–44/10–11 में ईट, सीमेंट, बालू, छड़ एवं स्टोन चिप्स की आपूर्ति की गयी थी, परंतु पंचायत समिति मद में राशि उपलब्ध नहीं रहने की वजह से उक्त ब्रीक्स कम्पनी एवं सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को अभीतक भुगतान नही किया जा सका है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पत्रांक--1200–2, दिनांक–29.08.2013 द्वारा प्रखंड–कहरा अन्तर्गत लंबित दायित्व से संबंधित योजनाओं को चार भागों में विभक्त करते हुए उक्त योजना की जाँच करने के जिम्मेवारी अंचलाधिकारी, कहरा एवं श्री मनोज कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा को दिया गया था। जाँचोपरान्त विभाग से राशि प्राप्त होने पर उक्त योजना में भुगतान किया जाना है।

(105)

(14)

20.08.2014	कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजना संख्या–44/10–11 में परिवादियों के किये गये दावे में सत्यता है एवं अद्यतन उनका भुगतान लंबित है। चुँकि मामला भुगतान से संबंधित है, जिस हेतु उप विकास आयुक्त, सहरसा ही सक्षम अधिकारी हैं। अतः उपर्युक्त टिप्पणी के पश्चात् उप विकास आयुक्त, सहरसा के समक्ष अग्रसारित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित पक्षों को इसकी सूचना निर्गत करें। ह०/– लोकपाल(मनरेगा) सहरसा ज्ञापांक 186-1 /लो०, सहरसा , दिनांक 24/9/14 प्रतिलिपि :–श्री मोहन प्रसाद सिंह उर्फ श्याम, नया बाजार, सहरसा प्रखंड–कहरा, जिला सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, मुरली बसंतपुर, प्रखंड–कहरा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:– जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ। प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 22.8.14 लोकपाल(मनरेगा) सहरसा

(194)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा
वाद संख्या– 01/2014–15

30.06.2014

प्रस्तुत वाद संख्या–01/2014–15 विशेस्वर यादव एवं अन्य 41 लोगों के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र पर संधारित की गयी है। सभी परिवादी ग्राम–सखौरी, पंचायत–गोलमा पूर्वी, प्रखंड–पतरघट, जिला–सहरसा के निवासी हैं। प्रस्तुत वाद में परिवादी ने तत्कालीन मुखिया, गोलमा पूर्वी पंचायत के सुनीता देवी, पति–इन्द्रदेव यादव पर विभिन्न आरोप लगायें हैं, जो निम्नांकित है :–

1. सुनीता देवी, भूतपूर्व मुखिया के पुत्र पिन्टु यादव, पिता–इन्द्रदेव यादव, कुख्यात अपराध कर्मी हैं। उनके उपर विभिन्न थानों में रंगदारी, अपहरण, हत्या, लूट एव डकैती काण्ड के दजनों मुकदमें लंबित हैं।
2. पिन्टु यादव का नाम गरीबी रेखा से नीचे है। बी०पी०एल० सूची में नाम रहने के कारण दूबारा इंदिरा आवास एवं छतदार चबुतरा दिया गया है तथा हजारों रूपये का सरकारी राशन एवं किरान वगैरह उठा रहे हैं। फिर भी उनका नाम बी०पी०एल० सूची में दर्ज है।
3. सुनीत देवी, पूर्व मुखिया के एक अन्य पुत्र रूपेश यादव अवैध तरीका अपनाकर पंचायत सेवक पद पर कार्यरत हैं एवं रूपेश कुमार शिक्षा मित्र है। ये दोनों भाई अपनी माँ सुनीता देवी के मुखिया कार्य–काल में भ्रष्ट तरीका से करोड़ों रूपये की सरकारी राशि हड़पने के सहायोगी है। सरकारी सेवा में रहते हुए भी उन पर कई फौजदारी मुकदमा चल रहे है।
4. सुनीता देवी ने अपने मुखिया कार्य–काल 2006–2011 तक केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजना यथा–आपदा प्रबंधन, इंदिरा आवास, मनरेगा, 12वां वित्त आयोग, बी०आर०जी०एफ०, शिक्षक नियोजन एवं अन्य योजनाओं में लाखों रूपये हड़प कर अपने पति, पुत्र एवं संबंधियों नाम लाखों की चल–अचल सम्पत्ति अर्जित की है, जिसका विवरण निम्न है :–
5. आपदा प्रबंधन–2008–09 कोशी बाँध टूटने पर पंचायत अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के स्थल जाँचोपरान्त बनाये गये राहत अनुदान सूची, फसल क्षति सूची, गृह क्षति सूची को अनदेखा कर क्षेत्रीय राजस्व कर्मचारी एवं पदाधिकारी को मेल में लेकार एक ही परिवार के 2–3 सदस्यों से प्रति लाभार्थी 2000–5000 रूपये लेकर अवैध तरीका से सूची बनाकर

30.06.2014	वितरण किया। वितरण के दौरान मुखिया सुनीता देवी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम से 2–3 बार भुगतान लिया, जो पतरघट अंचल कार्यालय के भुगतान एवं अभिलेख संख्या–54/2008–09 क्रमांक–72, 80, 87, 91, 227 एवं अभिलेख संख्या–19/2008–09 में क्रमांक–08, 09, 10, 15, 17, 18 एवं 19 के द्वारा करीब लाखों रूपये का अवैध भुगतान लिए। यहाँ तक कि दूसरे के नाम की राशि जो पतरघट अंचल कार्यालय अभिलेख संख्या–65/08–09 क्रमांक–18 पर उद्धृत है, का भी इन्होंने उठाव किया है। 6. इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों से 9000.00 से 10000.00 रूपये एवं दो बार इंदिरा आवास लाभार्थी से 15000.00 रूपये का भुगतान लिया। साथ ही मरे हुए लाभार्थियों आवासीय प्रमाण–पत्र देकर लाखों रूपये की हेरा–फेरी की। 7. इसी प्रकार की धांधली मनरेगा, 12वां वित्त आयोग, बी०आर०जी०एफ० एवं शिक्षक नियोजना योजना में भी किया गया है। संबंधित परिवाद 17.04.2014 को उप विकास आयुक्त, सहरसा के द्वारा न्यायालय, लोकपाल मनरेगा को जाँच हेतु हस्ताक्षरित किया गया। दिनांक–30.04.2014 को वाद संधारित हुआ। यहाँ द्रष्टव्य है कि लोकपाल मनरेगा, सहरसा का क्षेत्राधिकार परिवाद में उठाये गये मात्र मनरेगा के घोटाले तक ही सीमित है। अन्य योजनाएँ यथा–आपदा प्रबंधन, इंदिरा आवास, 12वां वित्त आयोग, बी०आर०जी०एफ०, शिक्षक नियोजना से संबंधित मामलों में लोकपाल मनरेगा का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। अस्तु मात्र मनरेगा से संबंधित घोटाले पर संज्ञान लेते हुए सूचना निर्गत की गयी। किन्तु दिनांक–20.06.2014 एवं 30.06.2014 को सूचनोंपरान्त भी वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। प्रस्तुत परिवाद पत्र में परिवादी द्वारा मात्र मनरेगा योजनाओं का जिक्र किया गया है। मनरेगा योजना से संबंधित किसी घोटाले का स्पष्ट जिक्र नहीं है कि जिस बिन्दु पर जाँच को आगे बढ़ाया जाय। साथ ही परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद पत्र से इतर कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। जिस पर अपेक्षित जाँच की जा सकती थी। अतः वाद की कार्रवाई चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

30.06.2014	अतः मनरेगा से संबंधित शिकायत को निरस्त करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। जहाँ तक अन्य शिकायों का सवाल है, उस पर सम्यक जाँच करने हेतु अभिलेख उप विकास आयुक्त, सहरसा को अग्रसारित किया जा रहा है। सभी संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें। ह०/– लोकपाल(मनरेगा) सहरसा **प्रतिलिपि** :– परिवादी विशेस्वर यादव, ग्राम–सखौड़ी, पंचायत–गोलमा पूर्वी, थाना–पतरघट अेपी, जिला सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :– कार्यक्रम पदाधिकारी, पतघट को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपिः**– जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ। **प्रतिलिपि** :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 30.6.14 लोकपाल(मनरेगा) सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 02 / 2013–14

दिनांक	
30-06-2014	यह वाद श्री गोपाल चौधरी, पिता– स्व० बीनो चौधरी, ग्राम–आगर, पंचायत – कठडुमर, प्रखंड– सिमरी बख्तियारपुर, जिला– सहरसा के दिनांक 03.03.2014 के आवेदन पत्र पर संधारित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न हैं – 1. ग्राम पंचायत आगर की मनरेगा योजना में आवेदक का खाता अद्यतन उपलब्ध नहीं होने के संबंध में था। 2. शिकायतकर्त्ता का कथन है कि उन्हें खाता खुलवाने का आदेश प्रदान किया जाय। उक्त संदर्भ में पंचायत रोजगार सेवक, कठडूमर पंचायत, प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक – 17.04.2014 को सूचना निर्गत की गई जिसके अनुसार उन्हें 25.04.2014 को न्यायालय, मनरेगा में उपस्थित होना था। किन्तु उक्त तिथि को वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। पुनः स्मारित करते हुए उन्हें 02.05.2014 को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत की गई, किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार दिनांक 17.05.2014, 17.06.2014 एवं 29.06.2014 को सूचनोपरान्त भी पंचायत रोजगार सेवक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि परिवादी का खाता नहीं खोला गया, जो मनरेगा प्रावधानों के प्रतिकूल है।

दिनांक	
30-06-2014	अतः पंचायत रोजगार सेवक, कठडूमर , प्रखंड–सिमरी बख्तियारपुर को आदेश दिया जाता है कि श्री गोपाल चौधरी का खाता 07 दिनों के अंदर खुलवाकर आदेश अनुपालन के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। इस आदेश के साथ बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी पक्षों को इसकी सूचना निर्गत करें। हस्ताक्षर ह०/ लोकपाल, मनरेगा, सहरसा। प्रतिलिपि :– परिवादी श्री गोपाल चौधरी, पिता– स्व० बीनो चौधरी, ग्राम आगर, पंचायत–कठडुमर, प्रखंड– सिमरी बख्तियारपुर, जिला– सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, अतलखा, प्रखंड – सोनवर्षा जिला, सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनवर्षा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 5.7.14 लोकपाल, मनरेगा, सहरसा।

(130)
(11)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 04 / 2013–14

दिनांक	
01.07.2014	प्रस्तुत वाद संख्या–04 / 2013–14, श्री विजय कुमार, ग्राम– नरहैया, पंचायत–अतलखा प्रखंड–सोनवर्षा, जिला – सहरसा के द्वारा दिनांक– 07.03.2014 को दायर किया गया। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्नांकित हैं – 1. पंचायत– अतलखा में मध्य विद्यालय, नरहैया के मैदान में मिट्टी भराई कार्य मनरेगा योजना से करायी जा रही है। उक्त योजना में पंचायत रोजगार सेवक, मुखिया तथा कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनवर्षा के द्वारा मजदूरों से काम नहीं कराकर ट्रैक्टर तथा अन्य उपकरणों के द्वारा मिट्टी भराई का कार्य करवाया जा रहा है। 2. रोजगार सेवक द्वारा फर्जी जॉबकार्ड निर्गत कर डाकघर से फर्जी निकासी किया जा रहा है। परिवाद के उक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण देने हेतु पंचायत रोजगार सेवक को सूचना निर्गत की गई। दिनांक – 30.06.2014 को पंचायत रोजगार सेवक उपस्थित हुए। आवेदक अनुपस्थित रहे। पंचायत रोजगार सेवक अतलखा, श्री शिवभजन कुमार ने उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा कि मनरेगा योजनाओं में जहाँ नजदीक में मिट्टी नहीं है एवं मिट्टी भराई कार्य अनिवार्य है। वहाँ ट्रैक्टर एवं अन्य उपस्करों द्वारा दूर से मिट्टी लाकर भराई कार्य करने का प्रावधान है। उक्त स्थल पर नजदीक में मिट्टी न होने के कारण उन्होंने ट्रैक्टर का उपयोग किया जो मनरेगा प्रावधानों के अनुकूल है। जहाँ तक फर्जी जॉबकार्ड निर्गत करने एवं निकासी करने का प्रश्न है इस तरह का एक भी फर्जी जॉबकार्ड निर्गत नहीं है और न ही किसी प्रकार की अबैध निकासी की गई है। अपने कथन के समर्थन मे उन्होंने स्वहस्ताक्षरित वक्तव्य भी न्यायालय को उपलब्ध करवाया है जो इस वाद अभिलेख के साथ संलग्न है। जहाँ तक परिवादी का प्रश्न है, वाद पत्र में वाद पत्र समर्पित करने के उपरान्त अनेक सूचनाओं के पश्चात् यथा दिनांक – 26.06.2014,18.06.2014, 30.06.2014 एवं 01.07.2014 के बाद भी परिवादी लगातार अनुपस्थित रहे एवं परिवाद में उठाये गये बिन्दुओं को न्यायालय के समक्ष सिद्ध न कर सके। जबकि रोजगार सेवक, अतलखा, लगातार उपस्थित होते रहे एवं परिवाद के बिन्दुओं पर उन्होंने स्पष्ट स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष दिया। उनके

130

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 04 / 2013–14

दिनांक	
1.07.2014	स्पष्टीकरण के विरूद्ध कोई अन्य तथ्य न्यायालय के समक्ष सिद्ध न हो सका। अतः स्पष्टीकरण से संतुष्ट होते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी पक्षों को इसकी सूचना निर्गत करें। हस्ताक्षर ह०/– लोकपाल, मनरेगा, सहरसा। प्रतिलिपि :– परिवादी श्री विजय कुमार, ग्राम– नरहैया, पंचायत–अतलखा प्रखंड–सोनवर्षा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, अतलखा, प्रखंड – सोनवर्षा जिला सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनवर्षा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 8.7.14 लोकपाल, मनरेगा, सहरसा।

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा
वाद संख्या– 24/2014–15

08.07.2014	वाद संख्या–24/2014–15, पूर्व मुखिया, श्रीमती राजकुमारी देवी, पति–श्री रामजी राय, ग्राम पंचायत–ऐना के द्वारा वर्त्तमान मुखिया श्री सत्यनारायण शर्मा, ग्राम पंचायत–ऐना के विरूद्ध दायर किया गया है। उपर्युक्त परिवाद में परिवादिनी पूर्व मुखिया राजकुमारी देवी, पति–श्री रामजी राय ने वर्त्तमान मुखिया श्री सत्यनाराण शर्मा के द्वारा गलत आरोप लगाकर आर्थिक, मानसिक शोषण एवं तंग–तबाह करने के विरूद्ध दायर किया गया। परिवादनी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आरोप गठित किया गया है:– 1. वर्ष 2001 में मेरे पति--श्री रामजी राय एवं अन्य 10 उम्मीदवार चुनाव लड़े, जिसमें वर्त्तमान मुखिया जी भी एक उम्मीदवार थे। वर्त्तमान मुखिया एवं मेरे पति दोनों ही चुनाव हार गये। उस समय से वर्त्तमान मुखिया के साथ मेरा खराब संबंध चल रहा है। 2. वर्ष 2005–06 में मैने पंचायत चुनाव लड़ा था एवं जीत गयी। इस समय भी वर्त्तमान मुखिया मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में थे। 3. वर्ष 2011 में फिर पंचायत चुनाव हुई। उसमें मेरे पति–श्री रामजी राय उम्मीदवार थे, किन्तु वे चुनाव हार गये। चुनाव में श्री सत्यनारायण शर्मा विजयी रहे। उक्त समय से वर्त्तमान मुखिया श्री सत्यनारायण शर्मा मेरे प्रतिद्वदी बन गये एवं विभिन्न प्रकार से मुझे प्रतारित करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे द्वारा मुखिया हैसियत से निर्गत चेक पर भी उन्होंने भुगतान संबंधी पावंदी लगवा दी। इस तरह मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की और अंत में परिवादी ने वर्त्तमान मुखिया श्री सत्यनारायण शर्मा से अपनी रक्षा करने हेतु अनुरोध किया है। उपरोक्त बिन्दुओं पर संज्ञान लेते हुए वाद की कार्रवाई शुरू की गयी। परिवादिनी एवं विपक्षी दोनों को सूचना निर्गत की गयी। न्यायालय में उपस्थित होकर वर्त्तमान मुखिया एवं भूतपूर्व मुखिया तथा पंचायत रोजगार सेवक, श्री ब्रजेश कुमार ने दिनांक–08.07.2014 को न्यायालय के समक्ष निम्न स्पष्टीकरण दिया :– वाद संख्या–24/2014–15 में तत्कालीन मुखिया श्रीमती राजकुमारी

08.07.2014	देवी का कथन है कि उनके एवं तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जो चेक निर्गत किया गया एवं जिसकी राशि मजदूरी मद की थी एवं मजदूर के खाते में जमा की गयी, उसपर वर्तमान मुखिया, श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा रोक लगा दी गयी है।

उक्त संदर्भ में वर्तमान मुखिया, श्री सत्यनारायण शर्मा का कथन है कि चूँकि बैंक के राशि का क्लियरेंस नहीं हुआ था। इसलिए बैंक खाते में जमा राशि एवं रोकड़ पंजी में दर्ज राशि में असामानता थी। इस असामानता के आधार पर उत्पन्न संदेह के कारण उन्होंने भुगतान पर रोक लगवायी थी। किन्तु बाद में वस्तु स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त उन्होंने उक्त रोक पर से अपनी पाबंदी हटा ली थी। उक्त स्पष्टीरण के आलोक में परिवादिनी की शिकायत स्वतः निरस्त हो गयी।

जहाँ तक मजदूरों के भुगतान न होने की शिकायत की गयी है। उक्त संबंध में ऐना पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक, श्री ब्रजेश कुमार के द्वारा करीब 15 मजदूरों द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र इस परिवाद में दाखिल किया है। उक्त आवेदन में मजदूरों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मनरेगा योजना से संबंधित कोई भी भुगतान बाँकी नहीं है और हम सभी मजदूर कार्य से संतुष्ट है।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण के उपरान्त वाद चलने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

सभी संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें।

ह०/--
लोकपाल(मनरेगा)
सहरसा

ज्ञापांक...................................../लो०, सहरसा , दिनांक.....................................

प्रतिलिपि :-- श्रीमती राजकुमारी देवी, पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत--ऐन, प्रखंड--महिषी, जिला सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :--पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत--ऐना, प्रखंड--महिषी, जिला--सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-- कार्यक्रम पदाधिकारी, महिषी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-- उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-- जिला पदाधिकारी--सह--जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :-- नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

14.7.14

लोकपाल(मनरेगा)
सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा
वाद संख्या– 05 / 2013–14

30.06.2014	प्रस्तुत वाद संख्या–05 / 2014–15, श्री पवन कामत, पिता–स्व० बिन्दा कामत, ग्राम+पोस्ट–सिहौल, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा के शिकायत पत्र पर संधारित किया गया है। प्रस्तुत शिकायत पत्र में शिकायतकर्त्ता ने ग्राम पंचायत–सिहौल, प्रखंड–सत्तरकटैया के अन्तर्गत मनरेगा योजना के अन्तर्गत श्री दुर्गा उच्च विद्यालय, सिहौल का खेल मैदान, जो पेट्रोल पम्प से सटे दक्षिण में अवस्थि है, में योजनान्तर्गत मिट्टी भराई का कार्य किया जाना था। उसमें ट्रैक्टर द्वारा मात्र 2½ ईंच से 3 ईंच तक मिट्टी बिछाया गया और फिर उस योजना को बंद कर दिया गया। योजना संख्या–06 / 2012–13 में मात्र दो दिन तक मजदूरों से मिट्टी कटवाया गया। शेष सम्पूर्ण कार्य ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई करवाकर सम्पन्न कराया गया। इस योजना में निबंधित जॉब कार्डधारी मजदूरों का फर्जी विपत्र एवं मास्टर रोल बनाया गया। उपर्युक्त शिकायत के आलोक में परिवादी एवं पंचायत रोजगार सेवक को सूचना निर्गत की गयी। दिनांक–17.04.2014, 30.04.2014, 20.05.2014, 16.06.2014 एवं 30.06.2014 तक सूचनोंपरान्त शिकायतकर्त्ता एवं पंचायत रोजगार सेवक लगातार अनुपस्थित रहे। दिनांक–09.7.2014 को श्री पवन कामत द्वारा एक शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। उक्त शपथ पत्र के अनुसार उनके द्वारा दायर शिकायत, गलत सूचना पर आधारित थी और उन्होंने इस परिवाद से अपने को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया। उक्त शपथ पत्र के आधार पर परिवाद में उठाये गये बिन्दु स्वतः निरस्त हो गये। अतः प्रस्तुत वाद चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें। ह० / – लोकपाल(मनरेगा) सहरसा

(134)

30.06.2014	ज्ञापांक..... / लो०, सहरसा , दिनांक..... **प्रतिलिपि** :– श्री पवन कामत, पिता–स्व० विन्दा कामत, साकिन+पोस्ट–सिहौल, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :–पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत–सिहौल, प्रखंड–सत्तरकटैया, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :– कार्यक्रम पदाधिकारी, सत्तरकटैया को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपिः**– जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ। **प्रतिलिपि** :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि** :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 17.7.14 लोकपाल(मनरेगा) सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 30/2014–15

दिनांक	
12.07.2014	वाद संख्या–30/2014–15 ग्राम पंचायत– ऐना के वर्त्तमान मुखिया श्री सत्यनारायण शर्मा के द्वारा तत्कालीन पंचायत, रोजगार सेवक मो० शाकिर हुसैन, ग्राम पंचायत – ऐना के विरूद्ध दायर किया गया है। उपर्युक्त परिवाद में परिवादी श्री सत्यनारायण शर्मा ने निम्न बिन्दुओं को उठाया है – 1. श्री शर्मा ने तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, मो० शाकिर हुसैन के विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि वे श्री शर्मा से कभी – कभी सादे चेक पर हस्ताक्षर करवा कर ले जाते हैं। 2. यह कि मो० शाकिर हुसैन कभी कभार ही पंचायत में आते हैं। 3. यह कि उक्त पंचायत रोजगार सेवक मो० शाकिर हुसैन के पदस्थापित रहते हुए पंचायत में किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो सकता है। उक्त परिवाद के संधारण के पश्चात् परिवादी एवं पंचायत रोजगार सेवक, मो० शाकिर हुसैन को सूचना निर्गत की गई। सूचना प्राप्ति के पश्चात परिवादी श्री सत्यनारायण शर्मा न्यायालय में उपस्थित हुए, संबंधित रोजगार सेवक, मो० शाकिर हुसैन न्यायालय में अनुपस्थित रहे। श्री सत्यनारायण शर्मा, मुखिया, ग्राम पंचायत – ऐना ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार किया कि उनके द्वारा दर्ज शिकायत कि रोजगार सेवक उनसे सादे चेक पर हस्ताक्षर करवाकर ले जाते हैं सही है। किन्तु श्री शर्मा ने यहाँ यह भी स्पष्ट किया कि उक्त पंचायत रोजगार सेवक ने उन सादे चेकों का कभी दुरूपयोग नहीं किया। यह एक विरोधावासी स्पष्टीकरण प्रतीत होता है। जब कि चेक का दुरूपयोग नहीं किया गया तो सादे चेक पर हस्ताक्षर करवाने का क्या औचित्य है? इस बिन्दु को श्री शर्मा स्पष्ट न कर सके। जहाँ तक मो० शाकिर हुसैन के संबंध में कभी कभार पंचायत में आने की बात कही गई है, उक्त संदर्भ में द्रष्टव्य है कि वर्त्तमान में मो० शाकिर हुसैन ऐना पंचायत मे पदस्थापित

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 30 / 2014–15

दिनांक	
30.07.2014	नहीं है। परिवाद के क्रम में पता चला कि गंभीर रूप से बिमार होकर चेन्नई के किसी अस्पताल में शायद इलाज करवा रहे हैं। उक्त संदर्भ में मुखिया श्री सत्यनारायण शर्मा ने स्वतः स्पष्ट किया कि वर्त्तमान में परिवाद का कोई कारण शेष नहीं बचा है। वर्त्तमान रोजगार सेवक सही ढंग से उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे है। पंचायत के कार्यो में प्रगति हो रही है एवं उन्होंने इस वाद को समाप्त करने की प्रार्थना की। उक्त परिपेक्ष्य से स्पष्ट होता है कि वाद चलाने का कोई समुचित कारण नहीं बचा है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। संबंधित पक्षों को इसकी सूचना निर्गत करें। हस्ताक्षर ह०/– लोकपाल, मनरेगा, सहरसा प्रतिलिपि :– श्री सत्यनारायण शर्मा, मुखिया ग्राम पंचायत– ऐना, प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत – ऐना, प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, महिषी को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 21.7.14 लोकपाल, मनरेगा, सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 31/2014–15

दिनांक	
14.07.2014	वाद संख्या–31/2014–15 वर्त्तमान मुखिया, श्री सत्यनारायण शर्मा, ग्राम पंचायत– ऐना, प्रखंड–महिषी, जिला– सहरसा द्वारा भुतपूर्व मुखिया – श्रीमती राजकुमारी देवी , ग्राम पंचायत– ऐना के विरूद्ध दायर किया गया है। श्री सत्यनारायण शर्मा वर्त्तमान मुखिया द्वारा निम्न बिन्दुओं को उठाया गया है – 1. मनरेगा योजना के तहत स्टेट बैंक, मैना के खाते में रोजगार सेवक के रोकड़पंजी में अंतर के साथ योजनाओं में भारी लुट एवं अन्य अनियमितता की जाँच करने के संबंध में। प्रस्तुत वाद संख्या– 24/2014–15 में दायर वाद की पुनरावृत्ति है। यह एक डुपलीकेट वाद है, जिसका निष्पादन विस्तृत रूप से वाद संख्या– 24/2014–15 में किया जा चुका है। अस्तु इस वाद में वाद संख्या - 24/2014–15 में पारित आदेश लागु होगा। अलग से वाद चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें। हस्ताक्षर ह०/– लोकपाल, मनरेगा, सहरसा प्रतिलिपि :– श्री सत्यनारायण शर्मा, मुखिया ग्राम पंचायत– ऐना, प्रखंड–महिषी, जिला– सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत – ऐना, प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, महिषी को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 31 / 2014–15

दिनांक	
14.07.2014	प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 21.7.14 लोकपाल, मनरेगा, सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 27 / 2014--15

दिनांक	
09.07.2014	प्रस्तुत वाद संख्या– 27 / 2014–15 ग्राम पंचायत – ऐना, प्रखंड-- महिषी के पंचायत वासियों के द्वारा समर्पित किया गया। उक्त शिकायत पत्र में निम्न बिन्दुओं को उठाया गया है -- 1. वर्ष 2007–11 के तहत जो भी योजना चलायी गयी, उसमें से एक भी योजना पूर्ण नहीं हुई। उक्त संबंध में तत्कालीन मुखिया एवं पंचायत वासियों के तरफ से वर्त्तमान मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक को सूचना निर्गत की गई। सूचना प्राप्ति उपरान्त तीनों ही न्यायालय में उपस्थित हुए एवं निम्न स्पष्टीकरण दर्ज करवाया – (क) वाद संख्या – 27 / 2014–15 जो ऐना पंचायत के पंचायत वासियों द्वारा प्रेषित परिवाद है, उक्त परिवाद में ऐना पंचायत के पूर्व मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक की मिली–भगत से घोटाला करने से संबंधित है। इस संबंध में वर्त्तमान मुखिया जो कि ऐना पंचायत वासियो का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने कहा कि प्रस्तुत आवेदन आपसी एवं ग्रामीण रंजिस का परिणाम है। वस्तु स्थिति में पूर्व मुखिया श्रीमती राजकुमारी देवी एवं तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक द्वारा कोई घोटाला नहीं किया गया है। (ख) उपर्युक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि परिवाद दायर करने का कोई औचित्य नहीं है विशेषतः उस स्थिति में जहाँ परिवाद में उठाये गये शिकायतों को न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सका। वर्त्तमान मुखिया जो कि पूर्व मुखिया के राजनितिक प्रतिद्वन्दी रहे हैं, ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने ही प्रतिद्वन्दी को दोषमुक्त सिद्ध किया। उक्त स्थिति में परिवाद चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। परिवाद

(12)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 27 / 2014–15

दिनांक	
09.07.2014	की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करें। ह०/– लोकपाल मनरेगा, सहरसा ज्ञापांक ...../लो०,सहरसा, दिनांक ..... प्रतिलिपि :– श्री सत्यनारायण शर्मा, मुखिया ग्राम पंचायत-- ऐना, प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत – ऐना, प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, महिषी को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 9.7.14 लोकपाल, मनरेगा, सहरसा

(124)
(5)

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा
वाद संख्या– 23 / 2014–15

01.07.2014

श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–स्व० भुवनेश्वर प्रसाद, ग्राम+पोस्ट–धकजरी(भरौली), पंचायत–दिवारी, प्रखंड–कहरा के द्वारा एक शिकायत पत्र इस न्यायालय में समर्पित की गयी है। शिकायतकर्त्ता का कहना है कि उनकी निजी जमीन जिसका खाता (पुराना) 48, खेसरा (पुराना) 729, रकवा– 18½ धूर है, में मनरेगा योजनान्तर्गत जबर्दस्ती सड़क का निर्माण कर लिया गया है। उक्त परिवाद पत्र में पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा को सूचना निर्गत कर वस्तु स्थिति की जानकारी माँगी गयी। उक्त वाद में श्री अनिल कुमार, पंचायत रोजगार सेवक, दिवारी दिनांक–01.07.2014 एवं 22.07.2014 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा लोकपाल मनरेगा के न्यायालय में कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।

शिकायतकर्त्ता ने शिकायत पत्र की एक प्रति उप विकास आयुक्त, सहरसा के समक्ष पेश की थी। उप विकास आयुक्त, सहरसा ने कार्यक्रम पदाधिकारी से प्रतिवेदन की माँग की थी। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त, सहरसा को एक प्रतिवेदन पत्रांक–100–2, दिनांक–11.07.2014 द्वारा समर्पित की गयी है, जिसकी एक छायाप्रति इस न्यायालय को भी उपलब्ध करवायी गयी है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा ने प्रतिवेदित किया है कि स्थल निरीक्षण के क्रम में पैमाईश के उपरांत अमीन द्वारा जो स्थल चिन्हित किया गया है, वह सड़क कही 1 फीट, कहीं 2 फीट, कहीं 3 फीट कहीं बिल्कुल ही दृष्टिगोचर नहीं होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया जी का कहना है कि सड़क निर्माण के क्रम में जब मिट्टी डाला जा रहा था, उस समय आवेदक भी मौजूद थे, हो सकता है कि मिट्टी का कुछ अंश उनके जमीन में चला गया हो। चुँकि सड़क के पूर्वी किनारे तक आवेदक की जमीन है। ग्राम पंचायत के द्वारा निर्मित सड़क उनके जमीन पर नहीं बनाया गया है। मिट्टी का जो अंश उनके जमीन पर चला गया है, उस जमीन का दखल कब्जा आवेदक के द्वारा कर लेने पर पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

संबंधित वाद में अंचलाधिकारी, कहरा, सहरसा का एक प्रतिवेदन जो उप विकास आयुक्त, सहरसा को प्रेषित है एवं जिसका पत्रांक–83–2, सपत्र, दिनांक–20.01.2014 भी संलग्न है। साथ ही अतिक्रमित सड़क का अंचल अमीन द्वारा प्रेषित एक नजरी

01.07.2014	नक्शा भी संलग्न है। अंचलाधिकारी, कहरा द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक का 18½ धूर जमीन, जिसका खाता(पुराना) 48, खेसरा (पुराना) 729 सड़क में अतिक्रमित कर दी गयी है एवं संलग्न नजरी नक्शा भी इस बात की सम्पुष्टि करता है। कार्यक्रम पदाधिकारी का प्रतिवेदन अप्रत्यक्ष रूप से अतिक्रमण की पुष्टि करता है एवं अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन अतिक्रमण की स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। अतः इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आवेदक की 18½ धूर जगोन सड़क के लिए अतिक्रमित की गयी है। मनरेगा प्रावधानों के अनुसार इस तरह का अतिक्रमण गैर कानूनी है। चुँकि मामला अतिक्रमण का बनता है, जिसमें अग्रेतर कार्रवाई हेतु उप विकास आयुक्त, सहरसा ही सक्षम हैं। अतः वाद को उप विकास आयुक्त के समक्ष अग्रसारित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित पक्षों को इसकी सूचना निर्गत करें। ह०/– लोकपाल(मनरेगा) सहरसा प्रतिलिपि :–श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–स्व० भुवनेश्वर प्रसाद, ग्राम+पोस्ट–धकजरी (भरौली), पंचायत–दिवारी, प्रखंड–कहरा, जिला सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, दिवारी, प्रखंड–कहरा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, कहरा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ। प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 25.7.14 लोकपाल(मनरेगा) सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 26 / 2014–15

दिनांक	
16.07.2014	प्रस्तुत वाद संख्या–26 / 2014–15, ग्राम पंचायत प्रखंड – महिषी के ग्राम वासियों के द्वारा समर्पित किया गया है। उक्त शिकायत पत्र में निम्न बिन्दुओं को उठाया गया है– 1. वर्ष 2007–11 के तहत जो भी योजना चलायी गई, उसमे एक भी योजना पूर्ण नहीं हुई। उक्त संबंध में तत्कालीन मुखिया एवं पंचायत वासियों के तरफ से वर्तमान मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक को सूचना निर्गत की गई। सूचना प्राप्ति के उपरान्त तीनों ही न्यायालय में उपस्थित हुए एवं निम्न स्पष्टीकरण दर्ज करवाया। वाद संख्या– 24 / 2014–15 जो ऐना पंचायत वासियों द्वारा प्रेषित परिवाद है उक्त परिवाद पत्र में ऐना पंचायत के पूर्व मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक के मिली भगत से घोटाला करने से संबधित है।इस संबंध में वर्तमान मुखिया जो कि ऐना पचायत वासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा कि प्रस्तुत आवेदन आपसी एवं ग्रामीण रंजिस का परिणाम है। वस्तु स्थिति में पूर्व मुखिया श्री राजकुमारी देवी एवं पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा कोई घोटाला नहीं किया गया है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि परिवाद दायर करने का कोई औचित्य नहीं है। विशेषतः उस स्थिति में जबकि परिवाद में उठाये गये शिकायतों को न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सका। वर्त्तमान मुखिया जो कि पूर्व मुखिया के राजनितिक प्रतिद्वन्दी रहे हैं, ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने ही प्रतिद्वन्दी को दोषमुक्त सिद्ध किया है। उक्त स्थिति में परिवाद चलाने का कोई

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या-- 26 / 2014--15

दिनांक	
16.07.2014	औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इसलिए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। संबंधित पक्षों को इसकी सूचना निर्गत करें। हस्ताक्षर ह०/- लोकपाल, मनरेगा, सहरसा प्रतिलिपि :– मो० रहमान राईन, ग्राम+पंचायत– ऐना, प्रखंड महिषी जिला –सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– श्री सत्यनारायण शर्मा, मुखिया ग्राम पंचायत– ऐना, प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत – ऐना, प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, महिषी को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। 16.7.14 लोकपाल, मनरेगा, सहरसा

न्यायालय, लोकपाल मनरेगा,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा

वाद संख्या– 01 / 2013–14

24.05.2014	यह वाद श्री ब्रह्मदेव चौधरी, ग्राम+थाना+पोस्ट+प्रखंड–सलखुआ, पंचायत–चानन द्वारा प्रस्तुत परिवाद है। प्रस्तुत परिवाद में परिवादी कार्य स्थल पर सूचना पट्ट न लगाने के लिए शिकायत की है। वाद संधारण के पश्चात् परिवादी एवं पंचायत रोजगार सेवक को विभिन्न तिथियों पर सूचना निर्गत की गयी, किन्तु न तो परिवादी और न ही पंचायत रोजगार सेवक उन तिथियों पर उपस्थित हुए।

कार्यक्रम पदाधिकारी, सलखुआ को भी संबंधित वाद की वास्तविक्ता से न्यायालय को अवगत कराने हेतु सूचना निर्गत की गयी है, किन्तु कार्यक्रम पदाधिकारी, सलखुआ न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही संबंधित वादों के संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराया।

कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक के रूख से स्पष्ट होता है कि उन्हें न्यायालय के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। जहाँ तक परिवादी का संबंध है विभिन्न सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी वे न्यायालय में अपना पक्ष एवं साक्ष्य रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें परिवाद में कोई रूचि नही है और उन्होंने अनावश्यक रूप से परिवाद दायर कर न्यायालय के समय को व्यर्थ बर्बाद करने की कोशिश की।

प्रस्तुत वाद में पक्ष और विपक्ष की कोई रूचि नही है। अतः उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

सभी संबंधित पक्षों को इसकी सूचना निर्गत करें।

ह०/–
लोकपाल(मनरेगा)
सहरसा

ज्ञापांक......................................./ , सहरसा , दिनांक..................................

प्रतिलिपि :– श्री ब्रह्मदेव चौधरी, ग्राम+थाना+पोस्ट+प्रखंड–सलखुआ, जिला सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पंचायत रोजगार सेवक, चानन, प्रखंड–सलखुआ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, सलखुआ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहरसा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24.5.14

लोकपाल(मनरेगा)
सहरसा